



# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

## U. P. Power Corporation Limited

(U.P.Govt. Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001



संख्या-112-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2025

दिनांक : 14.06.2025

### कार्यालय-ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ता (वै0एवंयां0) को तालिका के स्तम्भ संख्या-3 में उल्लिखित कार्यालय/निगम से तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुये, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम/कार्यालय को आवंटित किया जाता है:-

| क्र0<br>सं0 | नाम/अभि0सं0/सैप आई0डी/<br>गृह जनपद/से0नि0 की तिथि               | वर्तमान पदनाम एवं<br>कार्यालय/निगम   | स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का<br>कार्यालय /आवंटित निगम |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                               | 3                                    | 4                                                         |
| 1           | श्री प्रवेश कुमार/2000029/<br>11003024/बुलन्दशहर/<br>30.04.2033 | अधीक्षण अभियन्ता, केस्को,<br>कानपुर। | पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0।                         |

- उपर्युक्त आदेश जनहित याचिका संख्या-79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- स्थानान्तरित अभियन्ता को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञा0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
- कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2777-ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0-01/2023, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में उपरोक्त अधिकारी की joining/Relieving ई0आर0पी0 प्रणाली पर ही किया जाना है।
- स्थानान्तरित अधिकारी को कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के अनुसार तैनात किया जाये।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण कर दिया है।
- ग्रीष्मऋतु (हीटवेव) के दृष्टिगत सुचारु विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु कार्यभार ग्रहण अवधि अनुमन्य नहीं होगी।

संख्या-112(1)-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2025 तददिनांक

अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, कानपुर के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0का0लि0
- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(आशुतोष मिश्रा)

उप सचिव (02अ)